

बिहार सरकार
अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग

-:आवश्यक सूचना:-

7400

20.12.24

बिहार लोक सेवा आयोग की 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर निम्न सफल अभ्यर्थियों का अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण पदाधिकारी के नियंत्रणाधीन प्रखंड अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण पदाधिकारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों की जाँच/सत्यापन (Certificate Verification) एवं बायोमैट्रिक सत्यापन एतदर्थ गठित टीम द्वारा दिनांक- 30.12.2024 को पूर्वा० 9.00 बजे से अप० 5.00 बजे तक जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान, सरदार पटेल मार्ग, पटना के समाकक्ष में किया जायेगा:-

क्र०सं०	अनुक्रमांक	नाम
1	2	3
1	313154	सुश्री प्रीति कुमारी
2	228314	श्री प्रकाश कुमार
3	305880	श्री गौतम मिराज यादव
4	151945	श्री चन्दन कुमार
5	262004	श्री अबनीश आनंद
6	246937	श्री अखिलेश कुमार
7	133719	श्री प्रशांत पटेल
8	233019	श्री अनुराग रंजन
9	149459	सुश्री मोनालिशा सिंह
10	161239	श्री अरविन्द कुमार
11	108859	सुश्री सलोनी कश्यप
12	278350	गुंचा परवीन
13	171564	सुश्री पुजा कुमारी
14	127484	श्री प्रत्युश किशन
15	306070	श्री प्रीतम कुमार
16	294040	श्री विपुल कुमार
17	299374	श्री आलोक राज
18	171644	सुश्री अरिना जैन

शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों के सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि एवं समय को अभ्यर्थी अपने साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र/अभिलेख लाना सुनिश्चित करेंगे:-

- बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक, मुख्य एवं साक्षात्कार हेतु निर्गत प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) की मूल प्रति।
- मैट्रिक उत्तीर्णता का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्र।
- इंटरमीडिएट एवं स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
- अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो।
- अगर अभ्यर्थी सरकारी सेवक/नियोजन में हो तो नियोक्ता (Employer) से अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) मूल में।
- सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मूल में (आरक्षित कोटि के अनु० जाति/अनु० जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए)।
- बिहार सरकार की नौकरियों के निमित्त सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र मूल में (पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए)।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत EWS प्रमाण पत्र मूल में।

- (ix) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी संबंधी सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मूल में।
- (x) सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र मूल में।
- (xi) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र(मूल में)।
- (xii) पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र (दो प्रति मूल में)(विहित प्रपत्र संलग्न)।
- (xiii) अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र कि सभी प्रमाण पत्र सही हैं तथा उनके विरुद्ध थाना अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है एवं उनका आचरण प्रतिकूल नहीं है(विहित प्रपत्र संलग्न)(मूल में)।
- (xiv) असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मूल में।
- (xv) दहेज नहीं लेने एवं नहीं देने संबंधी स्वघोषणा पत्र(मूल में)।
- (xvi) चार पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ जैसा कि आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने के पूर्व ऑनलाइन/ऑफलाइन जमा किया गया था।
- (xvii) आधार कार्ड एवं इससे लिंकड मोबाईल नम्बर के साथ उपस्थित होंगे।

(xviii) उक्त कंडिका (i) से (xvii){कंडिका-xii एवं xvi को छोड़कर} तक में अंकित प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की छायाप्रति दो सेट में (स्व अभिप्रमाणित प्रति)।

BPSC के वेबसाइट पर अपलोड किये गये प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो, के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों के पास वाटरमार्क परिलक्षित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं होंगे, उनके Counselling पर विचार नहीं किया जाएगा।

नोट:- 1. यदि अभ्यर्थी उक्त प्रमाण पत्रों प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों तथा बायोमैट्रिक के सत्यापन हेतु उपर्युक्त निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं होते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता(Candidature) रद्द करने का एकाधिकार विभाग का होगा।

2. प्रमाण पत्रों की जांच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

3. अनुशंसित अभ्यर्थी को दिनांक-30.12.2024 को ही शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की जाँच/सत्यापन एवं बायोमैट्रिक सत्यापन के उपरांत सुयोग्य अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र एवं पदस्थापन पत्र का वितरण किया जाएगा। दिनांक-30.12.24 को ही योगदान करना अनिवार्य है। साथ ही दिनांक- 01.01.25 से 05 माह तक प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रशिक्षण के तहत सांस्थिक अनुकूलन कार्यक्रम (Institutional Orientation Programme) एवं विशिष्ट प्रशिक्षण बिपार्ड, गया में निर्धारित है। उक्त प्रशिक्षण के लिए पूरी तैयारी के साथ अभ्यर्थी को उपस्थित होना है। उक्त प्रशिक्षण अनिवार्य है।

4. बिपार्ड, गया के कार्यालय आदेश ज्ञापांक-1192 दिनांक-25.05.23 द्वारा आवासीय प्रशिक्षण हेतु निर्गत प्रशिक्षण अनुदेश(प्रति संलग्न) का अनुपालन करना अनिवार्य है।

5. यदि अभ्यर्थी सरकारी सेवा/नियोजन में हो तो नियोक्ता(Employer) द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं विरमन पत्र प्रस्तुत करने पर ही योगदान स्वीकार किया जाएगा।

6. उपरोक्त सूचना विभागीय वेबसाइट <https://state.bihar.gov.in/scstwelfare> पर भी देखी जा सकती है।

ज्ञापांक-02जी/प्र0क0पदा0(नियुक्ति)-40-84/2024 - 7400

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उन्हें निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक- 20.12.24

ज्ञापांक-02जी/प्र0क0पदा0(नियुक्ति)-40-84/2024 - 7400

प्रतिलिपि-सभी अनुशंसित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक- 20.12.24

सरकार के अपर सचिव

सत्यापन प्रपत्र

पासपोर्ट आकार की एक
अद्यतन हस्ताक्षरित फोटो प्रति

फोटो यहाँ चिपकाएँ

चेतावनी

- 1 इस सत्यापन प्रपत्र में गलत सूचना भरना एवं वास्तविक तथ्य छुपाये जाने को अयोग्यता माना जायेगा तथा तदनुसार अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी के लिए अनुपयुक्त घोषित किया जा सकता है।
- 2 यदि इस प्रपत्र को पूरा करने व प्रस्तुत किये जाने के बाद अभ्यर्थी को हवालात में डाला गया हो, गिरफ्तार किया गया हो, उस पर मुकदमा चलाया गया हो, उस पर अर्थदंड लगाया गया हो, उस पर कोई दोषारोपण हो, बहिष्कृत किया गया हो अथवा उसे दोष-मुक्त आदि किया गया हो तो इस आशय की सूचना तत्काल उस अधिकारी को भेजी जाय, जिसे यह सत्यापन प्रपत्र भेजा गया है। ऐसा न किये जाने पर यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी वास्तविक तथ्य छुपा रहा है।
- 3 यदि व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय यह पता चलता है कि उसने सत्यापन प्रपत्र में कोई गलत सूचना भरी है या स्वाभाविक तथ्यों को छुपाया गया है, तो उसकी सेवाएँ समाप्त की जा सकती हैं।

1	उपनामों सहित, यदि कोई हो, पूरा नाम(यदि आपने कभी अपने नाम अथवा कुलनाम में अंशतः कुछ जोड़ा अथवा निकाला हो तो विनिर्दिष्ट करें)	कुलनाम— नाम—
2	वर्तमान पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नंबर, गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर	
3	(क) घर का पूरा पता अर्थात् गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नंबर, गली/स्ट्रीट/सड़क व शहर और जिला मुख्यालय का नाम। (ख) यदि मूलतः पाकिस्तान/बंगलादेश(पूर्व पूर्वी पाकिस्तान) का निवासी है तो उस देश में रहने का पता तथा वहाँ से भारत आने की तारीख का उल्लेख करें।	
4	गत पाँच वर्षों के दौरान उन स्थानों के ब्योरे दें(आवास-अवधि सहित) जहाँ आपने एक समय में एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए निवास किया हो। 21 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद यदि आपने पाकिस्तान सहित अन्य देशों में एक वर्ष से अधिक के लिए निवास किया हो तो उन सभी स्थानों के भी ब्योरे प्रस्तुत करें।	

से	तक	आवास का पूरा पता(अर्थात गाँव, थाना तथा जिला अथवा मकान नं०/गली/स्ट्रीट/सड़क तथा शहर)	पूर्व कॉलम में उल्लिखित स्थान के जिला मुख्यालय का नाम
1	2	3	4

5

नाम	राष्ट्रीय(जन्म और/अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	व्यवसाय(यदि सेवारत हैं तो पदनाम व कार्यालय का पता लिखें)	पत्राचार का वर्तमान पता(दिवंगत होने की स्थिति में अंतिम पता)	घर का स्थाई पता
1	2	3	4	5	6
(क) पिता(उपनामों सहित यदि कोई हो) (ख) माँ (ग) पत्नी/पति (घ) भाई (ड.) बहन/बहनें					

6 उस पुत्र/पुत्रों और पुत्री/पुत्रियों के बारे में सूचना दें जो विदेश में रह रहे हैं:-

नाम	राष्ट्रीयता(जन्म और/अथवा अधिवास द्वारा)	जन्म स्थान	जिस देश में पढ़ रहे/रह रहे हैं, उसका पूरा पता	पूर्व कॉलम में उल्लिखित देश में कब से पढ़ रहे/रह रहे हैं।
1	2	3	4	5

7	राष्ट्रीयता	
8	(क) जन्मतिथि	(क)
	(ख) वर्तमान आयु	(ख)
	(ग) मैट्रीकुलेशन के प्रमाण पत्र में दी गई आयु	(ग)
9	(क) जिले एवं राज्य का नाम सहित जन्म स्थान	(क)
	(ख) आप किस जिले व राज्य से सम्बद्ध हैं।	(ख)
	(ग) आपके पिता मूलतः किस जिले व राज्य से संबद्ध हैं।	(ग)
10	(क) आपका धर्म	
	(ख) क्या आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति से सम्बद्ध हैं। जिससे सम्बद्ध हों, उसका नाम लिखें।	

11 15 वर्ष की आयु से जिन स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त की है, तारीख सहित उनका उल्लेख करते हुए शैक्षणिक योग्यता लिखें।

पूरे पते सहित स्कूलों/कॉलेजों के नाम	स्कूल/कॉलेज में प्रवेश की तारीख	स्कूल/कॉलेज छोड़ने की तारीख	कौन सी परीक्षा पास की

12 (क) क्या आप केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा अर्द्ध सरकारी निकाय अथवा स्वायत्त निकाय अथवा लोक उपक्रम अथवा निजी फर्म अथवा संस्थान में सेवारत हैं अथवा सेवारत रह चुके हैं। यदि हाँ तो सेवा की तारीखों सहित पूर्ण अद्यतन ब्यौरा दें।

अवधि से तक	पदनाम, वेतन तथा सेवा की प्रकृति	नियोक्ता का पूरा नाम व पता	पूर्व सेवा छोड़ने के कारण

(ख) क्या पिछली सेवा भारत सरकार, राज्य सरकार/किसी उपक्रम के स्वामित्वाधीन अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार/स्वायत्त निकाय/विश्वविद्यालय/स्थानीय निकाय के नियंत्रणाधीन थी।

(ग) क्या आपने केन्द्रीय सिविल सेवा(अस्थायी सेवा) नियमावली, 1965 अथवा इसके अनुरूप नियमावली के तहत एक माह के नोटिस पर सेवा छोड़ी थी ? क्या आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है ? क्या नोटिस दिये जाने अथवा सेवा समाप्त किये जाने से पूर्व बाद की तारीख में आपसे स्पष्टीकरण माँगा गया।

13(i) (क) क्या आपको कभी गिरफ्तार किया गया है ?

हाँ/नहीं

(ख) क्या कभी आप पर मुकदमा चला है ?

हाँ/नहीं

(ग) क्या कभी आपको हिरासत में रखा गया है ?

हाँ/नहीं

- (घ) क्या कभी आपको नजरबंद किया गया है ? हाँ/नहीं
- (ङ.) क्या किसी विधि-न्यायालय ने आप पर कभी अर्थदंड डाला है ? हाँ/नहीं
- (च) क्या कभी किसी विधि-न्यायालय ने किसी अपराध के लिए आपको दोषी सिद्ध किया गया है ? हाँ/नहीं
- (छ) क्या कभी किसी विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान ने आपको किसी परीक्षा में बैठने से रोका है अथवा बहिष्कृत किया है ? हाँ/नहीं
- (ज) क्या कभी किसी लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग ने किसी परीक्षा/चयन से आपको बहिष्कृत/अयोग्य घोषित किया है ? हाँ/नहीं
- (झ) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरने के समय किसी विधि न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई मुकदमा लंबित है ? हाँ/नहीं
- (ञ) क्या यह सत्यापन प्रपत्र भरते समय किसी विश्वविद्यालय अथवा अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्थान में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है ? हाँ/नहीं
- (ट) क्या सरकार के नियंत्रणाधीन अथवा अन्य किसी प्रशिक्षण संस्थान से आपको कार्यमुक्त किया गया/बहिष्कृत किया गया/निकाला गया ? हाँ/नहीं
- (ii) यदि प्रपत्र भरते समय उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर हाँ है तो उसे मुकदमे/गिरफ्तारी/हिरासत/अर्थदंड/दंडादेश/सजा आदि के बारे में और/अथवा किसी न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकरण आदि में लंबित मुकदमे की प्रकृति के पूर्ण ब्यौरे दें।
- (iii) नोट:- (i)कृपया इस प्रपत्र के प्रारंभ में लिखी चेतावनी को भी देखें।
(ii)प्रत्येक प्रश्न का विशिष्ट उत्तर "हाँ" अथवा "नहीं" जैसा भी मामला हो, काट कर दिया जाय।
- 14 अपने क्षेत्र के ऐसे दो व्यक्तियों के नाम अथवा हवाले लिखें जो आपको जानते हों।
1
2
- 15 मैं सत्यनिष्ठा से घोषित करता/करती हूँ कि मेरे मात्र एक जीवित पत्नी/पति है।
मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरी जानकारी तथा विश्वास के अनुसार उपर्युक्त सूचना सही तथा पूर्ण है। मैं किन्हीं ऐसी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके तहत मैं सरकारी नौकरी के अयोग्य माना/मानी जाऊँ।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर.....
तारीख.....
स्थान.....

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा

(i) नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी का नाम, पदनाम तथा पूरा पता	
(ii) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन किया गया वह पद, जिस पर नियुक्ति हेतु विचार किया जा रहा है।	

In the Court of Sub-Divisional Magistrate/Executive Magistrate

Sri-----
S/O.D/O-----Aged-----
by caste-----by faith-----by
Nationality Indian by occupation-----resident of
village-----Town-----P.O-----
-----P.S-----District-----
-----do here by solemnly affirm and declare as follows:-

That I am a permanent resident of aforesaid village/Town which falls under
P.O-----P.S-----District-----

- (i) That there is no any adverse remarks against me in any Police Station.
- (ii) That there is no criminal case against me in any Police Station or in any of the honourable Court.
- (iii) That all the document i.e caste certificate, residential certificate, educational qualification certificates/marks sheets and others certificate filed by me in connections with the recruitment under Bihar Public Service Commission are true to the best of my belief and knowledge.

If any wrong information arises in connection with my submitted certificates. I will be liable to be punished under Law.

The Statements made above are true to the best of my knowledge. belief & information and I sign this-----day-----

-----at-----

Deponent Signature

Solemnly affirm and declared before me to be true by the deponent who is identified by the Advocate-----

Signature of Magistrate-----